



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



**Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand**

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 E-Mail-eicpwduk@nic.in Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक .....०८...../137 व्यख-सा0/2017

दिनांक ०१ / जनवरी / 2018

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1/11  
(सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0/यू0ई0ए0पी0/यू0डी0आर0पी0)  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल/वि0/यां0)  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड।

विषय :- बैठक के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1/11/अधीक्षण अभियन्ताओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा अनिस्तारित प्रकरणों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विभागाध्यक्ष कार्यालय के बैठक कक्ष सं0 305 में दि0 08.01.2018 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से निर्धारित की गई है। बैठक का एजेन्डा संलग्न है।

उक्त बैठक के बाद दि0 08.01.2008 को ही अपरान्ह 5.00 बजे बाद अपर मुख्य सचिव महोदय के साथ शासन स्तर पर भी बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें आपके द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना है।

अतः कृपया बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - एजेन्डा ।

(एच0के0 उप्रेती)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को एजेन्डे की प्रति सहित सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार प्रतिभाग करने एवं अनिस्तारित प्रकरणों को प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
2. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर 1/11, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
3. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, (क्वालिटी कन्ट्रोल), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता क्वालिटी कन्ट्रोल सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
7. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
8. आई0टी0हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
10. वैयक्तिक अधिकारी/वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
11. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।

संलग्न - एजेन्डा

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



**दि० 08.01.2018 को लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित बैठक**

क्र०सं०	एजेन्डा के बिन्दु	पत्र प्रेषण का संदर्भ	सम्बन्धित कार्यालय का नाम जिसके स्तर पर सूचना लम्बित है
1	2	3	4
<b>(व्यवस्थापन "क" वर्ग)</b>			
1	खण्डों के मध्य कार्य विभाजन के सम्बन्ध में श्री. सतपाल महाराज मा० मंत्री उत्तराखण्ड राज्य के पत्र के सम्बन्ध में।	इस कार्यालय के पत्र सं० 1055/03 व्यक-सा०/2015 दि० 13.06.2017 एवं पत्र सं० 3458/03 व्यक-सा०/2015 दि० 12.12.2017।	समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/2, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
<b>(व्यवस्थापन "ग" वर्ग)</b>			
1	समूह 'ग' के कर्मचारियों को शासनादेश सं० 588/xxx (2)/2008 दि० 29.05.2008 व शासनादेश सं० 76 (1)/xxx (2)/15-03 (02) 2006 दि० 05.05.2015 के विपरीत गृह स्थान में तैनात किये जाने सम्बन्धी शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में।	इस कार्यालय के पत्र सं० 870/32 व्यग-अधि०-उ०/2017 दि० 04.08.2017, पत्र सं० 1066/32 व्यग-अधि०-उ०/2017 दि० 19.08.2017 एवं पत्र सं० 1255/32 व्यग-अधि०-उ०/2017 दि० 21.09.2017।	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय अल्मोडा/पौड़ी/देहरादून/हल्द्वानी। मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि० अल्मोडा के पत्र दि० 22.09.2017 से प्राप्त आख्या त्रुटिपूर्ण।
<b>(कार्यप्रभारित वर्ग)</b>			
1	श्री नन्दावल्लभ एवं श्री प्रताप सिंह, क्लीनरों का चालक के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति किये जाने के संबंध में आख्या माँगी गयी परन्तु अभी तक आख्या अपेक्षित है।	इस कार्यालय के पत्र सं० 628/46 का०प्र०-अधि०/16 दि०-15.11.16, पत्र सं० 13/46 का०प्र०-अधि०/16 दि० 11.01.16 एवं पत्र सं० 485/46 का०प्र०-अधि०/17 दि० 23.09.17।	मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पितौरागढ़।
2	यात्रिक संवर्ग कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची/स्वीकृत कार्यरत/ रिक्त की सूची चाही गयी थी ताकि चालको के पद पर पदोन्नति की जा सके परन्तु वाँछित सूचना अपेक्षित है।	इस कार्यालय के पत्र सं० 343/04 का०प्र०-अधि०/17 दि० 13.07.2017।	अधीक्षण अभियन्ता, 11 वॉ वि०/याँ० वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
3	उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में इलैक्ट्रीशियन सेवा नियमावली -2017 प्रख्यापित किये जाने के संबंध में सूचना अपेक्षित है।	इस कार्यालय के पत्र सं० 828/50 का०प्र०-अधि०/17 दि० 20.12.2017।	अधीक्षण अभियन्ता, 11 वॉ वि०/याँ० वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
4	कार्यालयों में उपलब्ध राजकीय वाहनो की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में सूचना अपेक्षित है।	इस कार्यालय के पत्र सं० 538/04 का०प्र०-अधि०/17 दि० 25.10.2017।	मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोडा/ टिहरी, हल्द्वानी पितौरागढ़/ रा०मा० देहरादून / ए०डी०बी० देहरादून।

क्रमशः....2....



क्र०सं०	एजेन्डा के बिन्दु	पत्र प्रेषण का संदर्भ	सम्बन्धित कार्यालय का नाम जिसके स्तर पर सूचना लम्बित है
1	2	3	4
<b>(परिवाद वर्ग)</b>			
1	निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बड़कोट (उत्तरकाशी) में बिना आमंत्रित किये गये कार्य करवाये जाने के संबंध में।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 837/06 (87) परिवाद/17 दि० 27.10.2017 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 101/06 (87) परिवाद/17 दि० 20.11.17।	मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि० टिहरी से आरोप पत्र गठित किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।
2	जनपद अल्मोडा में नागार्जन डहल जालली मोटर मार्ग का निर्माण 13.17 किमी लागत रुपये 134.51 लाख की जांच के संबंध में।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 724/01(72) सा०-परिवाद-उ०/14 दि० 10.08.17, पत्र संख्या 728/01(72)परिवाद उ०/17 दि० 25.08.2017, पत्र संख्या 910/01 (72) परिवाद उ०/17 दि० 09.10.2017 एवं पत्र संख्या 1043/01(72)परिवाद उ०/17 दिनांक 25.11.2017	मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि० अल्मोडा द्वारा आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया था जो वर्तमान में अभी तक वांछित है।
3	जनपद अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ताकुला-पातलीबगड-गणनाथ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य की जांच में आरोप पत्रों के संबंध में।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 724/01(72) सा०-परिवाद उ०/14 दिनांक 10.08.17।	मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि० अल्मोडा द्वारा आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया था जो वर्तमान में अभी तक वांछित है।
4	छिनकाछीना रौलामेल मोटर मार्ग को अस्थाई उच्चयन्त व स्थाई उच्चयन्त में स्वीकृति लागत से अधिक व्यय किये जाने के संबंध में।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 351/03(141) परिवाद उ०/17 दिनांक 08.05.2017 एवं 574/03(141) परिवाद उ०/17 दिनांक 01.07.2017 एवं पत्रांक 937/03(141) परिवाद उ०/17 दिनांक 17.10.2017 द्वारा आरोप पत्र मूल में ससोधित किये जाने हेतु प्रेषित	मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि० पिथौरागढ द्वारा आरोप पत्र की कार्यवाही अपेक्षित है।
<b>(विधायी वर्ग)</b>			
1	श्री हरि सिंह राणा, ठेकेदार जोशियाड़ा जिला उत्तरकाशी के सेतु की धरोहर धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 1595/319 एम०- वि० /17 दि० 28.07.17 एवं पत्र संख्या 2198/319 एम०- वि० /17 दि० 27.10.17।	समस्त अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
2	श्री हरि सिंह राणा, ठेकेदार जोशियाड़ा जिला उत्तरकाशी के सेतु की धरोहर धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 1594/40 एम०- वि० /17 दि० 28.07.17 एवं पत्र संख्या 2199/40 एम०- वि० /17 दि० 27.10.17।	समस्त अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
3	मैसर्स आशियाना कन्सट्रक्शन, टिहरी के मार्ग की धरोहर धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 1500/809 एम०- वि० /17 दि० 27.06.17 एवं पत्र संख्या 2232/649 एम०- वि० /17 दि० 31.10.17।	समस्त अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।

